



समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)
पत्रांक- 08 दिनांक- 18/04/2020

124

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

प्रबंधन

अपर समाहर्ता, आपदा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विषय:- कोविड-19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-748/आ0नि0को0 दिनांक-07.04.2020

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड 19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।

(3) कार्यालय का पत्रांक-744/आ0नि0को0 दिनांक-24.03.2020 तथा दिनांक-07.04.2020 को अपराहन 01 से 02 बजे के मध्य सभी सहायक निदेशकों के साथ सम्पादित विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदत्त निदेश।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त वर्णित विषय का संदर्भ ग्रहण करें। यह पत्र कोविड 19 (COVID-19) महामारी की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के विषय में है। आप अवगत हैं कि कोविड 19 (COVID-19) प्रकोप और तेजी से फैलने की इसकी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न आपदा स्थिति की वजह से गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक-24 मार्च, 2020 को निर्गत अधिसूचना के तहत 21 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। कोविड 19 (COVID-19) महामारी पूरी जनता को प्रभावित कर रहा है। परन्तु दिव्यांगजनों के विविध कारणों यथा शारीरिक, संवेदी व ज्ञान संबंधी सीमा, स्वास्थ्य स्थितियों इत्यादि की वजह से इसके चपेट के आने की संभावना ज्यादा है। इस आलोक में इस संकट की स्थिति के दौरान उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनकी दिव्यांगता, विशिष्ट आवश्यकताओं, दैनिक जीवन की गतिविधियों को समझने और उपयुक्त एवं समायोजित उपाय करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने कोविड 19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न गंभीर स्थितियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है तथा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिव्यांगजनों के लिए समान सुरक्षा व संरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।

इस क्रम में कार्यालय के पत्रांक-744/आ0नि0को0 दिनांक-24.03.2020 के तहत आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा दिनांक-07.04.2020 को अपराहन 01 से 02 बजे के मध्य सभी सहायक निदेशकों के साथ सम्पादित विडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। विदित हो कि लॉकडाउन के प्रारंभ से ही दिव्यांगजनों के संबंध में स्थिति की मॉनिटरिंग अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय/गृह स्थल से ही की जा रही है। इस संबंध में हेल्पलाइन नं0-8448385590 जारी किया जा चुका है, जिसके द्वारा भी स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

विदित है कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला अपर आयुक्त, निःशक्तता (दिव्यांगजन) को संबंधित जिले हेतु अपर आयुक्त, निःशक्तता (दिव्यांगजन) नामित किया गया है तथा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को दिव्यांगजनों हेतु संबंधित जिले के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

123

उपर्युक्त क्रम में कोविड 19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में निम्न उपाय सुझाए जाते हैं:-

- (1) सभी दिव्यांगजनों की कोविड 19 (COVID-19) के विरुद्ध सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित की जानी है।
- (2) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यू0डी0आई0डी0 कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को दिव्यांगजनों के संबंध में अधिकारिक प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य किया जाना चाहिए।
- (3) कोविड 19 दी जाने वाली सेवाओं और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सभी जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में सुगम्य रूपों में तथा सार्वजनिक प्रतिबंध योजनाओं, प्रस्तुत की गई सेवाओं से संबंधित सभी जानकारी स्थानीय भाषाओं में सुगम्य प्रारूपों में उपलब्ध है।
- (4) आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को दिव्यांगजनों के अधिकारों और विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त समस्याओं से जुड़े जोखिमों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- (5) दिव्यांगजनों के समर्थन में प्रासंगिक जानकारी सभी जागरूकता अभियानों का एक हिस्सा होनी चाहिए।
- (6) अलग रखने की अवधि (क्वरनटाइन) के दौरान देखभालकर्ता की सहायता पर निर्भर दृष्टि दिव्यांगों, बौद्धिक/मानसिक दिव्यांगता (मानसिक-सामाजिक) वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता सेवाएं, व्यक्तिगत सहायता और शारीरिक तथा संचार सुगम्यता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन अपनी व्हील चेयर और अन्य सहायक उपकरणों में आई खराबी के सुधार के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- (7) आपातकालीन और स्वास्थ्य सेटिंग्स में काम करने वाले सांकेतिक भाषा दुभाषियों को कोविड 19 से निपटने वाले अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के समान ही स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- (8) दिव्यांगजनों की देखभाल करने वालों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट देकर या प्राथमिकता पर आसान तरीके से पास प्रदान करके दिव्यांगजनों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (9) न्यूनतम मानव संपर्क वाले दिव्यांगजनों के लिए समर्थन सेवाएँ बनी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी देखभाल करने वालों की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रचार की आवश्यकता है।
- (10) आवसीय कल्याण संघों (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों) को दिव्यांगजनों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि सैनिटाइजिंग प्रक्रिया का पालन करने के बाद नौकरानी, देखभाल करने वाले और अन्य सहायता प्रदाताओं को उनके निवास में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकें।
- (11) दिव्यांगजनों को आवश्यक भोजन, पानी, दवा तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए और जहाँ तक संभव हो, ऐसी वस्तुओं को उनके निवास स्थान या उस स्थान पर पहुँचाया जाना चाहिए जहाँ उन्हें क्वरनटाइन किया गया है।
- (12) दिव्यांगजनों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सुपर बाजारों सहित किराने की दुकानें खोलने का विशिष्ट समय निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं।
- (13) दिव्यांगजनों के लिए क्वरनटाइन के दौरान उनके सहयोग के लिए सहकर्मी नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है।
- (14) आपातकालीन अवधि के दौरान जिन दिव्यांगजनों को यात्रा पास दिया जाना है, उनकी दिव्यांगता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और संरक्षण के लिए उन्हें जागरूक भी किया जाना चाहिए।
- (15) दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दिए जाने के बजाए उनका उपचार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- (16) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में दृष्टि दिव्यांग और अन्य गंभीर दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान आवश्यक रूप से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं।
- (17) क्वरनटाइन की अवधि से निपटने के लिए दिव्यांगजनों के साथ-साथ उनके परिवारों को तनावमुक्त करने के लिए ऑन-लाईन परामर्श तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- (18) सांकेतिक भाषा व्याख्या और वीडियो कॉलिंग की सुविधाओं के साथ विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए जिला स्तर पर 24X7 हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए, जिस प्रकार की राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 8448385590 के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं। जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर-06252-240121 स्थापित है एवं कार्यरत है।
- (19) दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए कोविड 19 पर सूचना सामग्री तैयार करने और इसका प्रसार करने में दिव्यांगजनों के संगठन को शामिल किया जाए।
- (20) प्रखंड/अनुमण्डल/जिला स्तर पर इस तरह के दिव्यांगजनों की एक सूची होनी चाहिए और उन्हें समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं की निगरानी होनी चाहिए। जिला/अनुमण्डल/प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध है। जिन्हें उस इलाके में अधिक सहायता पहुँचाया जा सकता है।
- (21) यदि आवश्यक हो तो वो गैर-सरकारी व सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों/आवासीय कल्याण संघों की भी मदद ले सकते हैं। इस कार्यालय से पंजीकृत गैर-सरकारी व सरकारी संगठनों की सूची कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यथा आवश्यकता सहायता प्रदान

करने वाले संगठनों को लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट देकर या प्राथमिकता पर आसान तरीके से पास प्रदान करके दिव्यांगजनों तक पहुँचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(22) स्थानीय स्वशासन के सहयोग से आवश्यक खाद्य, जल, दवा, सामाजिक सुरक्षा व राहत राशि/सामग्री की पूर्ति करायी जा सकती है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन कार्यालय को ई-मेल email-scdisability2008@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कोविड 19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त सुझाए गये उपायों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायक।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

16/04/20
सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

18/04/2020
उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विश्वासभाजन,
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

16/04/20
ज्ञापांक:- 08 दिनांक 18/04/2020
प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/04/20
सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

18/04/2020
उप विकास आयुक्त,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

18/04/2020
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।